कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास (म.प्र.)

//परिपत्र//

क्रमांक....02....../परिपत्र/2025 देवास, दिनांक ..21../02/2025

प्रायः यह देखा जा रहा है कि जिला मुख्यालय एवं तहसील न्यायालयो में पदस्थ तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी पुरूष कर्मचारीगण द्वारा जीन्स, टी–शर्ट पहन कर न्यायालय में उपस्थित होते हैं जो कि न्यायालय के गरिमा के अनुकूल नहीं है।

अतः जिला मुख्यालय एवं तहसील न्यायालयो में पदस्थ समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी (महिला एवं पुरूष) कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वह न्यायालय की गरिमा के अनुरूप साधारण एवं शोभनीय वस्त्र धारण कर ही न्यायालय में उपस्थित होवें।

उक्त परिपत्र का कडाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें। परिपत्र में दिये गये निर्देशों का पालन न होने की दशा में संबंधित कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जा सकेगी।

21/2/25

(अजय प्रकाश मिश्र)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
देवास (म0प्र0)

पृष्ठांकन कमांक 595 /परिपत्र/2025 देवास, दिनांक 21.02.25

प्रतिलिपि :–

01– समस्त न्यायाधीशगण, देवास/सोनकच्छ/बागली/खातेगांव/कन्नौद/टोंकखुर्द की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह अपने अधीनस्थ कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण को तत्संबंध में सूचित करें।

02– समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण की ओर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

03– निज सहायक, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

21/2/25

(अजय प्रकाश मिश्र)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
देवास (म0प्र0)